

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 के तहत भारतीय न्याय संहिता****संख्या - 319/2026****उर्मिला देवी @ उर्मिला मिश्रा और 2 अन्य****.....आवेदक(ओं)****बनाम****उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ और एक अन्य****.....विपक्षीगण(ओं)****आवेदक(ओं) के अधिवक्ता****: रमाकर शुक्ला****विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता****: शासकीय अधिवक्ता****न्यायालय संख्या - 13****माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया**

1. वाद पुकारा गया। दिनांक 13.03.2026 के इस न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि इतला तामील किए जाने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं। इन परिस्थितियों में और दिनांक 13.03.2026 के इस न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसमें कहा गया है कि "यह स्पष्ट किया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीख पर, बीमारी सहित किसी भी आधार पर वाद को स्थगित नहीं किया जाएगा और प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में भी, पहली सुनवाई में ही उचित आदेश, जिसमें प्रतिवादी के विरुद्ध आदेश भी शामिल है, पारित किए जाएंगे", न्यायालय ने वाद की कार्यवाही आगे बढ़ाई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
3. यह अग्रिम जमानत याचिका आवेदकों द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 30/2026, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, थाना- कोतवाली नगर, जिला- सुल्तानपुर के संबंध में दायर की गई है।
4. आदेश दिनांक 18.02.2026 के द्वारा इस न्यायालय ने आवेदकों के हितों की रक्षा की थी। संदर्भित आदेश दिनांक 18.02.2026, इस प्रकार है:-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

2. यह अग्रिम जमानत याचिका आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध नंबर 30/2026, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, थाना- कोतवाली नगर, जिला- सुल्तानपुर के संबंध में दायर की गई है।

3. इस याचिका पर जोर देते हुए, यह कहा गया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है।

4. यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी में आवेदकों के खिलाफ अस्पष्ट और निराधार आरोप लगाए गए हैं।

5. यह भी कहा गया है कि विद्वान सत्र न्यायालय ने आदेश दिनांक 02.02.2026 द्वारा आवेदकों के हितों की रक्षा करने से इनकार कर दिया है और इसलिए, यह याचिका इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई है।"

6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्राथमिकी को सरसरी तौर पर पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कोई आरोप नहीं है जिसके आधार पर धारा 108 भारतीय न्याय संहिता लागू हो सके। उनका कहना है कि धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध के लिए अभियोजन पक्ष को यह आरोप लगाना और साबित करना होगा कि मृतक को आत्महत्या करने से ठीक पहले आरोपी द्वारा उकसाया गया था। केवल उत्पीड़न के आरोप के आधार पर, घटना के समय के निकट आरोपी द्वारा ऐसा कोई सकारात्मक कार्य न होने पर, जिसके कारण व्यक्ति ने आत्महत्या की हो, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के तहत संलिप्तता या दोषसिद्धि मान्य नहीं है। किसी वाद को धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के दायरे में लाने के लिए, आत्महत्या का मामला होना आवश्यक है और उक्त अपराध के घटित होने में, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले व्यक्ति ने उकसाने या आत्महत्या को सुविधाजनक बनाने के लिए कोई कार्य करके सक्रिय भूमिका निभाई होनी चाहिए। यह पहलू इस वाद में मौजूद नहीं है। इस संबंध में, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य (2020) 10 एससीसी 200 और जियो वर्गीस बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 873 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रभात कुमार मिश्रा उर्फ प्रभात मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2024) 3 एससीसी 665 के वाद में दिनांक 05.03.2024 को दिए गए निर्णय में की गई टिप्पणियों के आधार पर यह भी कहा गया है कि केवल आत्महत्या पत्र के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय नहीं दिया जा सकता है और धारा 108 भारतीय न्याय संहिता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष धारा 108 भारतीय न्याय संहिता के तहत इंगित आवश्यक तत्वों को साबित करने के लिए बाध्य है।

8. यह भी कहा गया है कि आवेदकों के विरुद्ध संभावना खंडनीय है, और अभियोजन पक्ष को पहले अपना मामला स्थापित करना होगा ताकि वह उपर्युक्त वैधानिक प्रावधान आकर्षित हो सके।

9. उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, साथ ही यह देखते हुए कि यह आत्महत्या का मामला है, जैसा कि कहा गया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में, जिनमें ऊपर संदर्भित निर्णय भी शामिल हैं, की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक अंतरिम संरक्षण के हकदार हैं।

10. तदनुसार, अंतरिम उपाय के रूप में यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी-आवेदकों - उर्मिला देवी उर्फ उर्मिला मिश्रा, महर्षि मिश्रा और अर्पण मिश्रा को उपर्युक्त वाद (उपरोक्त) में अग्रिम जमानत पर 25,000/- रुपये की व्यक्तिगत जमानत और दो जमानती (परिवार के सदस्य में से एक) इतनी ही राशि में संबंधित थाना के थाना प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ तुरंत रिहा किया जाए:-

(i) यह कि आरोपी-आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपस्थित होंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे;

(ii) यह कि आरोपी-आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

या वादा नहीं करेंगे जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विवश हो; और (iii) यह कि आरोपी-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

11. विपक्षी संख्या 2 को इतला जारी किया हो। इस संबंध में चार कार्यदिवस के भीतर कार्रवाई की जाए।

12. विपक्षी संख्या 2 को भी इस वाद की विचाराधीनता के संबंध में थाना प्रभारी, थाना- कोतवाली नगर, जिला- सुल्तानपुर द्वारा सूचित किया जाए।

13. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल दें और अगली सुनवाई के समय संबंधित थाना प्रभारी द्वारा शिकायतकर्ता/विपक्षी संख्या 2 को दी गई जानकारी का प्रमाण हलफनामे के रूप में प्रस्तुत करें।

14. इस आवेदन को 09.03.2026 को शीर्ष 20 वादों में सूचीबद्ध/प्रस्तुत किया जाए।

15. इस बीच, माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता इस आवेदन के जवाब में हलफनामा दाखिल कर सकते हैं।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता पत्रावली से यह साबित नहीं कर सके कि जमानत आवेदन में उल्लिखित कोई भी प्रतिकूल तथ्य मौजूद है। न्यायालय ने पाया कि वाद की खूबियों पर विचार करने के बाद आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था। अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता भी ऐसा कोई तथ्य नहीं बता सके जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आवेदक ने अन्वेषण कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है या कोई ऐसा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्पष्ट तथ्य जो वाद की खूबियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

6. उपरोक्त के मददेनजर, वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाता है और आवेदकों - **उर्मिला देवी उर्फ उर्मिला मिश्रा, महर्षि मिश्रा और अर्पण मिश्रा** को वाद के निपटारे तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत दी जाती है:-

- (i) आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं उपस्थित होंगे;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे। ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके;
- (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
- (iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और
- (v) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे/उन्हें डराएंगे नहीं।

7. चूक की स्थिति में, अन्वेषण अभिकरण इस आदेश को रद्द करने हेतु आवेदन कर सकती है।

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

18 मार्च, 2026

अरुण/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।